न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
5 / 17	03.07.2025	17.10.2025

बउनवान

01. सचिन सैनी पुत्र स्व0 श्री मुरारी जाति माली निवासी ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

अपीलान्ट

बनाम

02. ग्राम पंचायत बरखेडा पंचायत समिति मालाखेडा

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व विरासत इन्तकाल संख्या 1654 दिनांक–22.09.2014 ग्राम पंचायत बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

निर्णय

वकील अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व तहत अदालत ग्राम पंचायत बरखेडा निर्णय दिनांक 22.09.2014 नामान्तकरण संख्या 1654 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 3929 रकबा 1.49 हैक्टेयर, 3054 रकबा 0.15 हैक्टेयर वाके ग्राम बरखेडा अपीलार्थी के दादा रामधन की कब्जे काश्त खातेदारी आराजी है। अपीलार्थी के दादा रामधन व पिता मुरारी के स्वर्गवास के बाद उनकी विरासत अपीलार्थी व अन्य के नाम इंतकाल संख्या 1654 खोला व दर्ज किया गया। उक्त विरासत इंतकाल संख्या 1654 में राजस्व कर्मचारी द्वारा सहवन व त्रुटिपूर्वक अपीलार्थी का नाम सचिन सैनी के स्थान पर शशी दर्ज व अंकित कर दिया गया। जिस विवादित आदेश की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 30.06.2025 को नकल लेने पर जानकारी मे आयी। अपीलान्ट का नाम विरासत इंतकाल में गलत दर्ज हो जाने से अपीलान्ट अपनी आराजी का उपभोग समुचित रूप से नहीं कर पा रहा है तथा अपीलान्ट की हकूक खातेदारी पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर तहत अदालत का आलोच्य आदेश दिनांक–22.09.2014 इंतकाल संख्या–1654 अपास्त किया जाकर अपीलांट का नाम शशी को कलमजन कर सचिन सैनी दर्ज व अंकित करने हेतु संशोधित इंतकाल जारी करने के आदेश देने का निवेदन किया।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट जरिए रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश कर अपील स्वीकार करने का कथन किया।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

की बाबत तस्दीक

उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए इंतकाल की जानकारी से अपील प्रस्तुत करने तक के समय दफा–5 मियाद के अधिनियम के तहत मुजरा किया जाकर अपील स्वीकार करने का कथन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा विवादित इंतकाल संख्या 1654 दिनांक–22.09.2014 का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा मियाद अवधि के बाहर अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कन्डोन किया जाता है। अपीलांट द्वारा तहत ग्राम पंचायत जमालपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक–22.09.2014 इंतकाल संख्या–1654 में अपीलांट का नाम गलत दर्ज होना अंकित किया है। तहत अदालत को आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट के वारिसान के नाम की पूर्ण जांच करने के पश्चात् ही आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु तहत अदालत ने वारिसान के नामो की विस्तृत जांच किए बिना ही आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया अपीलांट की हद तक अपास्त योग्य है।

अतः तहत अदालत ग्राम पंचायत पारित आलोच्य आदेश दिनांक–22.09.2014 इंतकाल संख्या–1654, ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलान्ट के सही नाम की विधिक जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मालाखेडा को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)